तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/776/2002/श्रीगंगानगर ठानासिंह बनाम गुरदीपसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री अमृतपालसिंह, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री आर.एस. बराड, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 19.03.2019

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–01–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या–1 से 5 ने प्रशासन गांवों के संग अभियान में नायब तहीसलदार, अनूपगढ के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर चक–5 एच के मु.न. 120/9, 120/10 एवं 120/11 में से चालू रास्ते को प्रार्थीगण द्वारा बन्द किये जाने पर खुलवाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे नायब तहसीलदार पारित आदेश दिनांक 23–10–2001 से स्वीकार कर प्रार्थीगण को पाबन्द किया कि वे चालू रास्ते को बन्द नहीं करें। इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण ने अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 05–01–2002 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/776/2002/श्रीगंगानगर ठानासिंह बनाम गुरदीपसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कि प्रार्थीगण विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में रिकार्डेड खातेदार दर्ज है, जिन्हें नायब तहसीलदार ने सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पाबन्द करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की तथा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि रास्ता अस्तित्व में ही नहीं है, ना ही राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उनका कथन है कि नायब तहसीलदार के समक्ष बन्द रास्ते के खुलवाने का जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, उसमें यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया कि प्रार्थनापत्र प्रस्तुतकर्ता प्रार्थीगण की खातेदारी में कौनसी भूमि दर्ज है, जिस पर आने जाने हेतु उक्त रास्ता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आवेदन ही अस्पष्ट एवं अपूर्ण था तथा प्रार्थनापत्र प्रस्तुतकर्ता प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार ही नहीं था। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों को निरस्त किया जावे तथा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी में वर्षो पूर्व से रास्ता चला आ रहा था, जिसे प्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया गया। उक्त रास्ते को खुलवाने बाबत् नायब तहसीलदार के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा पूर्ण जांच कर रास्ता बन्द नहीं करने का आदेश पारित किया। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/776/2002/श्रीगंगानगर ठानासिंह बनाम गुरदीपसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रखते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या–1 से 5 ने प्रशासन गांवों के संग अभियान में नायब तहीसलदार, अनूपगढ के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर चक–5 एच के मु.न. 120/9, 120/10 एवं 120/11 में से चालू रास्ते को प्रार्थीगण द्वारा बन्द किये जाने पर खुलवाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे नायब तहसीलदार पारित आदेश दिनांक 23–10–2001 से स्वीकार कर प्रार्थीगण को पाबन्द किया कि वे चालू रास्ते को बन्द नहीं करें। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानानुसार सुखाचार की मांग केवल वह खातेदार काश्तकार ही कर सकता है, जिसे अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु दीर्घकाल से चल रहे रास्ते को कोई बन्द करता है या अवरोध उत्पन्न करता है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सार्वजनिक सुखाचार का प्रावधान नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण ने अपने आवेदनपत्र में न तो यह स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा कौन से मु.न. में भूमि धारित की जा रही है, ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। प्रस्तुत प्रकरण में नायब तहसीलदार द्वारा भी रास्ता रिकार्ड में दर्ज करने बाबत् कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, केवल मात्र रास्ता बन्द नहीं करने हेतु प्रार्थीगण को पाबन्द किया गया है। प्रार्थीगण के कथनानुसार यदि मौके पर रास्ता नहीं है तो नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश का कोई औचित्य ही नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निगराधीन निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/776/2002/श्रीगंगानगर ठानासिंह बनाम गुरदीपसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	